न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 04/2019/अपील अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम

मोना शर्मा पत्नी अरूण जोशी जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम कटराथल, पुलिस थाना दादिया, जिला सीकर (राज.)। अपीलान्ट

बनाम

1. चन्द्राराम पुत्र देवी दत्त | जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम कटराथल, पुलिस थाना दादिया, जिला सीकर (राज.)।
2. उपखण्ड अधिकारी सीकर

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–
1. श्री पुरूषोत्तम शर्मा न्याय–मित्र रेस्पोडेन्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, सीकर आदेश दिनांक 10.07.2019

निर्णय

निर्णय दिनांकः 14 अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठे, गलत व मनगढंत तथ्यों के आधार पर सीनियर सिटीजन एक्ट में आवेदन पेश किया गया था जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त ओश दिनांक 10.07.2019 पारित किया गया है।

(2) उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा ना तो किसी प्रकार की कोई जांच की गई है तथा ना ही अपीलान्ट को सुना गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दिनांक 10.07.2019 पारित किये जाने पर अपीलान्ट ने एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करने बाबत आवेदन पेश किया गया था जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा बिना किसी कानूनी अधिकार के खारिज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उक्त आदेश कानूनी व तथ्यों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 10.07.2019 व 06.09.2019 को अपास्त किया जावे।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिए नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट श्रीमती मोना शर्मा उपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से न्याय मित्र श्री पुरूषोत्तम शर्मा उपस्थित आये। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में एक सप्ताह का समय दिये जाने का निवेदन किया गया। उनकी प्रार्थना पर आगामी तिथी दिनांक 14.10.2019 नियत की गई।

3. बहस रेस्पोडेन्ट सुनी गई।

4. वकील रेस्पो. ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.07.2019 के पश्चात दिनांक 06.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अवगत करवाया कि प्रार्थीया ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में इसी प्रकरण पर रिट याचिका संख्या 13735/2019 प्रस्तुत की है जिसमें आगामी तारीख 20.09.2019 नियत थी, वर्तमान में प्रकरण चुंकि प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में विचाराधीन है। प्रकरण को सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. हमने योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(1) माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16(1) में अभिलिखित है कि– "अधिकारण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक माता–पिता, आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाईल कर सकेगा।"

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2019 को आदेश पारित कर अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट की सम्पदा को खाली करने का आदेश पारित किया है एवं दिनांक 06.09.2019 को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर आदेश दिनांक 10.07.2019 की पालना करने का आदेश किया है।

(3) इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पीटिशन नम्बर 15453/2016 श्रीमती रश्मि सक्सेना बनाम सुरेश प्रकाश सक्सेना के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई करते हुये, अधिकारिता तथ्यों का विवेचन करते हुए निर्धारित किया है कि– "In the present case, the possession of part of the house holds by respondent was given to the petitioner as licensee, may be at the time when her marriage with the son of the respondent was subsisting. The fact, however, remains that as of now marriage between two does no subsist and both are strangers to each other.

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

In view of this, the daughter-in-law cannot claim right of residence as against father-in-law, although she can proceed against her husbans. This court therefore does not find any error or infirmity in the impugned orders."

6. उपरोक्त पैरा संख्या 6 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रावधानों के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही वैध व विधिसम्मत है। अपीलान्ट को इस न्यायालय में अपील पेश किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही अपीलान्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में इस बाबत याचिका संख्या CW/13735/2019 दायर कर रखी है। अतः समान प्रकरणों व दो विधिक कार्यवाही को एक साथ सम्पादित नहीं की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य व विवेचन से स्पष्ट है कि daughter-in-law cannot claim right of residence as against father-in-law. अतः उपरोक्त विवेचन कारणों के मध्येनजर माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 20 (2)(i) को संज्ञान में रखते हुए अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 14 **अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/10/2019

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner